मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ११ सन् २०२२

मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन विधेयक, २०२२

मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९६४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) संशोधन अधिनियम, २०२२ है. **संक्षिप्त नाम.**

२. मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक २९ सन् १९६४) की धारा १५ में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किया जाए, अर्थात्:— **धारा १५ का संशोधन**

"(क) वह जुर्माने से दंडनीय होगा जो पांच हजार रुपए से कम नहीं होगा तथा पचास हजार रुपए तक का हो सकेगा;".

उद्देश्यों और कारणों का कथन

कारबार करने में आसानी (ईज ऑफ डुईंग बिजनेस) एक महत्वपूर्ण कारक है, जो राष्ट्र एवं राज्य के शीघ्र आर्थिक विकास में सहायता करता है. इस दृष्टि से, ऐसे कृत्यों को, ज़िनमें केवल वित्तीय हानियां अंतर्वलित हैं, अपराधमुक्त होना चाहिए. अतएव, मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९६४ (क्र २९ सन् १९६४) की धारा १५ को यथोचित रूप से संशोधित करना प्रस्तावित किया जा रहा है जिससे कि कारावास के दण्ड को हटा दिया जाए और तेंदूपत्ता अंतर्वलित अपराध की दशा में केवल शास्ति का दण्ड प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :
तारीख ८ सितम्बर, २०२२

डॉ. कुँवर विजय शाह
भारसाधक सदस्य.

उपाबंध

मध्यप्रदेश तेंदूपत्ता (व्यापार विनियमन) अधिनियम, १९६४ (क्रमांक २९ सन् १९६४) से उद्धरण.

धारा १५ (१) * * * * *

धारा १५ (२) यदि कोई व्यक्ति—

(क) वह कारावास से जिसकी अवधि तीन मास से कम न हो लेकिन एक वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है या जुर्माना से जो पाँच हजार रुपए से कम का नहीं होगा किन्तु जो पचास हजार रुपए तक हो सकेगा, से दण्डनीय होगा. जब तक कि न्यायालय इस बात से संतुष्ट नहीं हो कि कम सजा से भी न्याय की मांग की पूर्ति हो जावेगी और वह उन कारणों को लेखबद्ध करेगी

* * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.

उपाबंध

मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, १९५९ (क्रमांक २० सन् १९५९) से उद्धरण

* * * * *

धारा ९. मण्डल, अपने एक या एक से अधिक सदस्यों से गठित न्यायपीठों द्वारा मण्डल की शक्तियों तथा कृत्यों का प्रयोग किये जाने हेतु नियम बना सकेगा, और ऐसे न्यायपीठों द्वारा ऐसी शक्तियों या कृत्यों का प्रयोग करते हुए दिये गये समस्त विनिश्चय मण्डल के विनिश्चय समझे जायेंगे.''

* * * * *

ए. पी. सिंह
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.